


मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ मदन, भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 09/07/2007

क्र. एफ 1-10/2005/20-1 :: इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.11.2005 एवं 21.12.2005 द्वारा महिला विकलांग एवं परस्पर शिक्षाकर्मियों को अंतर्निकाय संविलियन करने संबंधी प्रवधान किया गया था। शिक्षाकर्मियों के अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही प्रचलित होने के कारण शिक्षाकर्मियों के अंतर्निकाय संविलियन की प्रक्रिया अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एम.के. सिंह)
अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,
भोपाल, दिनांक 09/07/2007

पु. क्र. एफ 1-10/2005/20-1

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक मान. मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
9. समस्त आयुक्त, नगर निगम, म.प्र.।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, म.प्र.।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
12. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, म.प्र.।
13. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, म.प्र.।
14. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.।


अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,